

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)


पृ0कमांक/.....⁽¹⁻¹²⁾910...../सां0अनु0-45/2024

टीकमगढ़, दिनांक :- 06..... अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ (म0प्र0)
 2. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) टीकमगढ़ (म0प्र0)
 3. समस्त जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी (म0प्र0)
 4. प्रभारी अधिकारी, (फाईलिंग काउन्टर) टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा
 5. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी टीकमगढ़
 6. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म0प्र0)
 7. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म0प्र0)
 8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ जतारा/निवाड़ी/ओरछा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
 9. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़
 10. स्टेनोग्राफर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म0प्र0)
 11. सांख्यिकीय लिपिक/जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)
- क. 1 लगायत 11 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।**
12. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, टीकमगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को संबंधित उक्त अधिकारीगण की ओर ई-मेल के माध्यम से अविलंब प्रेषित करावें।

संलग्न- विविध आदेश



(हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

-: विविध आदेश :-

क्रमांक/.....⁹¹⁰...../सां0अनु0-45/2024

टीकमगढ़, दिनांक :- 06... अप्रैल, 2024

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण, वर्कशॉप, सेमीनार इत्यादि में न्यायालयीन कार्य दिवसों में, मेरे उपस्थित होने अथवा अवकाश पर रहने की स्थिति में मुख्यालय टीकमगढ़ पर, प्रशासकीय कार्यवाही हेतु विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), टीकमगढ़ को तथा न्यायालय कार्यवाही (दांडिक अपील, निगरानी याचिका, जमानत याचिकायें, शीघ्र सुनवाई जैसे मामले आदि) हेतु निम्नानुसार न्यायालयों को आगामी आदेश तक अधिकृत किया जाता है :-

क्र.	दिवस	न्यायालय का नाम	न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी का नाम
1.	सोमवार	विशेष न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़	श्रीमती प्रवीना व्यास
2.	मंगलवार	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़	श्री मनोज कुमार
3.	बुधवार	पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़	श्री अनिल कुमार करोरिया
4.	गुरुवार	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़	श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता
5.	शुक्रवार	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़	श्री प्रणयदीप ठाकुर
6.	शनिवार	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़	श्री प्रणयदीप ठाकुर

टिप्पणी :- यदि किसी जमानत आवेदन में प्रथम जमानत आवेदन या उसी प्रकरण के किसी अन्य आरोपी/सहआरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई जिस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई है, तो वह जमानत आवेदन उन्हीं न्यायालय/पीठासीन अधिकारी को स्वमेव अंतरित माना जायेगा।


(हितेन्द्र सिंह सिंसीदिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म0प्र0)